कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी कलक्टर जयपुर

Tel: 0141-2209043 FAX - 0141-2202231 Email:-dydeojpr@gmail.com, adm2.col.jpr@rajasthan.gov.in

क्रमांकः स्टोर / नीलामी / 2021 / 1904 दिनांकः 16-7-21

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर के चुनाव भण्डार मे पंचायत चुनाव; नगर पालिका एवं नगर निगम चुनाव 2020 के दौरान संग्रहित सील्ड / अनसील्ड रिकॉर्ड, सफेद कागज / लिफाफे / गत्ते एवं पंचायत चुनाव 2015 की प्रशासनिक पत्रावलियां (प्रकोष्ठों का रिकॉर्ड एवं अन्य), सफेद कागज एवं गत्ते के रिकॉर्ड की नीलामी आयोजित की जा रही है, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं.	नीलामी की जाने वाली सामग्री / विषय वस्तु का विवरण	अनुमानित मात्रा (किलो में)	आरक्षित मूल्य प्रति किलो	धरोहर राशि (रूपये)	नीलामी की दिनांक एवं समय	नीलामी स्थान
1	सील्ड / अनसील्ड रिकॉर्ड, सफेद कागज / लिफाफे / गत्ते एवं प्रशासनिक पत्रावलियां (प्रकोष्ठों का रिकॉर्ड एवं अन्य), सफेद कागज एवं गत्ते के रिकॉर्ड	3600	10 रूपये	1000	23.07.21 प्रातः 11.00 बजे	चुनाव भण्डार ,पशुपालन भवन, लालकोठी, जयपुर

उक्त रिकार्ड की नीलामी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 4(2)(1)पं. / नपा / रानिआ / 94 / 64 दिनांक 09.04.2010 राजस्थान पंचायती राज निर्वाचक नियम 1994 के नियम 53–ख के उपबंधों के अनुसरण में एवं नगर पालिका चुनाव हेतु महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन, वर्ष 2020 के आदेश क्रमांक सा.आ. 20 / 95 / 1442 दिनांक 08.05.96 राजस्थान नगर पालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 75 के अधीन निर्देशों के तहत की जायेगी।

उक्त नीलामी में निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन कोई भी बोलीदाता नीलामी की बोली में भाग ले सकते हैः–

1. नीलामी बोली में भाग लेने हेतु बोली दाता को रू. 1000 / –अमानत राशि मौके पर जमा करानी होगी।
2. नीलामी बोली पर नियमानुसार जी.एस.टी. अलग से देय होगा।
3. नीलामी बोलीदाता को सफेद कागज, लिफाफे तुलवाकर सुपुर्द किये जायेगें। सफेद कागज, लिफाफे की तुलाई हेतु तौलमाप यंत्र की व्यवस्था स्वयं बोलीदाता द्वारा की जावेगी।

921

4. बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को अपना परिचय व निवास स्थान का प्रूफ व पंजीयन (जी.एस.टी आदि) तथा पेन कार्ड की छाया प्रति (अनिवार्य रुप से) बोली प्रस्तुत करने से पूर्व जमा कराना होगा।
5. सफल बोलीदाता द्वारा स्वीकृति पश्चात तत्काल सम्पूर्ण राशि जी.एस.टी. सहित जमा करवाकर रद्दी की तुलाई पश्चात मौके पर ही छोटे–छोटे टुकड़ों में काटकर/फाड़कर स्वयं के खर्चे से मौके से हटानी होगी।
6. नीलामी बोली बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने संबंधी समस्त अधिकार जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर), जयपुर में निहित होंगे।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जयपुर

क्रमांक: स्टोर/नीलामी/2021/ 1905 दिनांक: 16-7-21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर, चतुर्थ/वरिष्ठ लेखाधिकारी/अति. प्रशा. अधिकारी चुनाव, सहायक लेखाधिकारी (लेखा) शाखा एवं स्टोर कीपर (चुनाव भण्डार), जयपुर को कार्यालय आदेश क्रमांक 1739 दिनांक 01.07.2021 के क्रम में उपरोक्त नियत दिनांक व समय पर नीलामी हेतु गठित कमेटी के रुप में नीलामी कार्य सम्पादन हेतु प्रेषित है।
2. एन.आई.सी./एसीपी कलेक्ट्रेट, जयपुर को दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि इस नीलामी सूचना को पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
3. निजी सहायक, जिला निर्वाचन अधिकारी, जयपुर।
4. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर नोटिस बोर्ड।
5. जिला कलक्टर, जयपुर नोटिस बोर्ड।
6. कोष कार्यालय, जयपुर (शहर) नोटिस बोर्ड।
7. जयपुर नगर निगम नोटिस बोर्ड।
8. सूचना पट्ट, उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार कार्यालय, जयपुर।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जयपुर 16/7

Desktop\lokshha ele 2019\rr\evm nrkosth